मॉनीटर करने के लिए वाह्य एजेंसियों के सहयोग से समय-समय पर अध्ययन भी किये जाते हैं और सम्बन्धित राज्य सरकार से आवश्यक उपचारी कार्यवाई करने का आग्रह किया जाता है। इन गृहों में तैनात कर्मचारियों के लाभार्थ प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

**विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान**

1637. **श्री डी० पी० यादव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की बहुत-सी संस्थाएं सामाजिक कार्य के नाम पर फर्जी तरीके से अनुदान प्राप्त कर लेती हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) वर्ष 1997-98 के दौरान सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे देश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को 71.88 करोड़ रु० की कुल राशि निर्मुक्त की गई।

(ख) और (ग) सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण लाए गए हैं जहां अनुदान प्राप्त कर्ता संस्थाओं ने संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादित नहीं किया है अथवा इसके अभिप्रेत प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया है। निधियों के ऐसे दुरुपयोग को रोकने की कार्रवाई में शामिल है, परीक्षित लेखे विवरण तथा संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कागजातों की जांच, राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा संगठन के निरीक्षण तथा विशेष जांच/निरीक्षण जहां विशेष शिकायत प्राप्त हुई। यदि जहां निधियों का दुरुपयोग प्रमाणित हो जाता है तो सहायता अनुदान की आगे निर्मुक्ति रोक दी जाती तथा पहले ही दी गई अनुदान की वसूली का भी आदेश दिया जाता है।

**"Bridge Course" for untrained Educators and Rehabilitation Workers**

1638. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken up an ambitious programme called "Bridge Course" for untrained educators and rehabilitation workers in the field of disability;

(b) if so, the details of the scheme launched with physical and financial details and phasing of the targets State-wise;

(c) the details of action plan formulated by the Rehabilitation Council of India State-wise; and

(d) the present strength of trained/skilled personnel working for rehabilitation of disabled in the country and their ratio to total number of disabled, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The scheme is to give one time opportunity to all those serving people with disabilities to become eligible to register themselves with the Rehabilitation Council of India by taking up just one month duration bridge course. The details of physical and financial targets State-wise formulated by the Rehabilitation Council of India is enclosed as statement (*see* below).

(d) The present strength of trained/skilled personnel working for rehabilitation of disabled in the country is 13,365. A sample survey conducted by National Sample Survey Organisation in 1991 covering four disabilities-visual, hearing speech and locomotor estimated that there are about 16.15 million disabled persons constituting about 1.9% of the total population of the country. As regards mental retardation in a sample